राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकःप0 1(1)चिस्वा/2/2014पार्ट जयपुर,दिनांकः 09-11-17

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.14 द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्थापित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी के नियमित रिक्त पदो के विरुद्ध मेडिकल रिलीफ सोसाटियों के तहत वॉक–इन–इण्टरव्यू के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों को संविदा के आधार पर नियत मासिक मानदेय 30,000/–पर रखने की सहमति प्रदान की गई थी।

उक्त ओदश के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में प्रोबेशन ट्रेनी चिकित्सा अधिकारी को देय नियत पारिश्रमिक राशि के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग में आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियत पारिश्रमिक रू. 56,000/– पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

चिकित्सा अधिकारी के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति नही की जाकर आवश्यक अस्थाई आधार पर ही नियुक्ति की जावेगी। शेष शर्ते आदेश दिनांक 04.10.14 के अनुसार रहेंगी।

उक्त आदेश वित्त(व्यय–1) विभाग की आईडी संख्या 131700378 दिनांक 07.11.17 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
6. निदेशक(जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
11. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई–मेल करावें एवं विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव